न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 74/2018
RCMS No. 2018/00406

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1 विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत बेड़ल 2. फूलसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी बिरोलिया तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

पंचायत प्रसार अधिकारी, प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–31/12/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बेड़ल द्वारा मिसल संख्या 12, संकल्प संख्या 09 दिनांक 05.08.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.09.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है, अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

पंचायत प्रसार अधिकारी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायजी राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी किया गया है। उक्त नियम के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधान है, जबकि मौके पर भू–खण्ड ही अवस्थित है। इस कारण प्रकरण नियम 157 (1) के तहत कवर ही नहीं होता था। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, बेड़ल द्वारा मिसल संख्या 12, संकल्प संख्या 09 दिनांक 05.08.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.09.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बेड़ल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम

करते हुए नक्शा मौका कायम किया जाकर तीन वार्ड पंचों से मौका निरीक्षण करवा कर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया एवं निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के पश्चात जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया गया है। पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा जो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उसमें जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी हुआ है, वहां भूमि की जो प्रस्थिति दर्शाई है, वह भू–खण्ड के रूप में दर्शाई है। जबकि पट्टा नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है, जिसके तहत पुराने भू–खण्ड का पट्टा जारी करने के ही प्रावधान है। इस कारण पंचायत द्वारा प्रकरण हाजा में प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में जो आज्ञा पारित की गई एवं उक्त आज्ञा की पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि विरूद्ध है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, बेड़ल द्वारा मिसल संख्या 12, संकल्प संख्या 09 दिनांक 05.08.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.09.2004 को खारिज़ किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली